N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0240 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/09/2025 16:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/06/2025 Date To (दिनांक तक): 21/06/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 11:30 बजे Time To (समय तक): 10:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/09/2025 Time (समय): 15:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/09/2025 16:17:18 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 50 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): RAJKIYA PASHU CHIKITSALAYA MALARAMPURA, TEHASIL SANGRIYA, JILA HANUMANGARH
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SATNAM SINGH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** SUKHRAJ SINGH
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	V.P.O. SANTPURA DHANEE, 3 A.M.P., SANGRIYA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	V.P.O. SANTPURA DHANEE, 3 A.M.P., SANGRIYA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR. KHUSHBU RAWAT		पत्नी:DR.PANKAJ GOSWAMI	1. WARD NO. 07,,MALARAMPURA,SANGRIYA ,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 20.06.2025 को समय 11.30 एएम पर परिवादी सतनाम सिह पुत्र सुखराज सिह जाति-जटसिख, उम्र-40 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. संतपुरा ढाणी 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमती सुधा पालावत अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया जिन्होने प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक शालू बिश्नोई को सुपुर्द किया परिवादी सतनाम सिह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी सतनाम सिह ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होकर उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी सतनाम सिह ने दरियाफ्त पर बताया कि मैं ढाणी 3 ए.एम.पी. सतंपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ में रहता हूं तथा मैं पशुपालन करता हूं, मालारामपुरा पशु अस्पताल में डॉक्टर है खुशबु रावत जो पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में रिश्वत की मांग करती है, मेरे द्वारा मेरे चार पशुओ का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने हेतु उनसे संपर्क किया गया तो उन्होने मेरे से प्रत्येक पशु के 500/-रूपये के हिसाब से चारों पशुओं के 2000/- रूपये रिश्वत की मांग की, मै अपने जायज काम के पैसे नहीं देनो चाहता हूं मैं डॉक्टर खुशबु रावत को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं मेरी डॉक्टर खुशबु रावत से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई लेनदेन है, अतः आप कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी सतनाम सिह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.20 पीएम पर परिवादी सतनाम सिह को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री सतनाम सिह से ब्युरो के श्री रामजस कानि. 109 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री सतनाम सिह को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, परिवादी सतनाम सिह ने बताया की मैने डॉक्टर खुशबु से आज सुबह बात की थी तब उन्होने कहा था की आज तो 12 बजे बाद मिटिंग में जाउगीं इसलिए आज वो मुझे पशु अस्पताल में नहीं मिलेगी, मै उनके पास कल सुबह ही जाउंगा तब आप रामजस जी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर संगरिया भेज देना मैं इनसे संगरिया में मिल लूगां फिर मालारामपुरा में जाकर डॉक्टर खुशबु से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी सतनाम सिह को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, श्री रामजस कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 21.06.2025 को समय 08.00 एएम पर श्री रामजस कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर श्री रामजस कानि0 109 को संगरिया-मालारामपुरा के लिए रवाना किया। समय 01.30 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संगरिया बस स्टेण्ड के पास पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी सतनाम सिह उपस्थित मिला जिसके साथ मैं रवाना होकर मालारामपुरा पशु चिकित्सालय के पास पहुंचें, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर खुशबु रावत पशु चिकित्सक से संपर्क करने हेतु पशु चिकित्सालय की तरफ रवाना किया मै गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया था, कुछ समय बाद परिवादी वापिस आया जिसमे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी ने बताया कि डॉ0 खुशबु रावत पशु चिकित्सालय में उपस्थित मिली जिन्होने मुझे मेरे चारों पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाकर दे दिये व मेरे से प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के 350/-रूपये के हिसाब से 1400/-रूपये मांगे और मेरे द्वारा कम करने का कहने पर 1000/-रूपये लेने हेतु सहमत हुई और कहा की ये रूपये रमेश को दे देना जो प्राईवेट पशु कंपाउडर का काम करता है फिर मै वहां से रवाना होकर वापिस आ गया। परिवादी ने बताया कि अब मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता मै एक-दो दिन में रिश्वत की राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में आ जाउंगा, इस पर मैने निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी सतनाम सिह के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 24.06.2025 को समय 11.30 एएम पर

परिवादी श्री सतनाम सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि दिनांक 21.06.2025 को श्री रामजस जी मुझे संगरिया बस स्टेण्ड के पास मिल गये थे फिर मैं व रामजस जी रवाना होकर मालारामपुरा पशु चिकित्सालय के पास पहुंचें थे रामजस जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर पशु चिकित्सालय की तरफ भेजा खुद बाहर ही रूक गये थे, मै पशु चिकित्सालय में गया जहां पर डॉ0 खुशबु रावत उपस्थित मिली जिन्होने मुझसे मेरे चारों पशुओं की फोटो मांगी जो मैने उन्हे जरिये वॉटसअप उनके नंबरों पर सेंड कर दी फिर उन्होने मेरे चारो पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाकर दे दिये व मेरे से प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के 350/-रूपये के हिसाब से चारों पशुओं के 1400/-रूपये मांगे और मेरे द्वारा कम करने का कहने पर 1000/-रूपये लेने हेतु सहमत हुई मेरे द्वारा कहने पर की मेरे पास अभी रूपये नहीं तो डॉ0 खुशबु रावत ने कहा की ये रूपये रमेश को दे देना जो प्राईवेट पशु कंपाउडर का काम करता है फिर मै वहां से रवाना होकर वापिस आकर रामजस जी से मिला जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया फिर मैने उन्हे यह बात बता दी थी। फिर मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं उनके साथ नहीं आया वो मुझे वहीं छोडते हुए चले गये थे और मैं अपने गांव चला गया था। परिवादी ने उसके पशुओं के बनाए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिनांक 21.06.2025 प्रस्तुत की व अपने लॉन से संबंधित बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व लॉन के बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन किया तो कुल चार पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र है जिनमें दो भैंसों व दो गायों के है जिन पर दिनांक 21.06.2025 अंकित है व डॉ0 खुशबु रावत पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी पशु चिकित्सालय मालारामपुरा हनुमानगढ़(राज.) के हस्ताक्षर है लॉन से संबंधित बैंक स्टेटमेंट है को शामिल फाईल किया गया। दिनांक 24.06.2025 समय 12.00 पीएम पर परिवादी ने अवगत करवाया की आज तो मै मेरे पर्सनल काम से हनुमानगढ़ आया था और अब पशु हास्पीटॅल के बंद होने का समय हो चुका है कल मैं सुबह जल्दी रिश्वत में दी जाने वाली राशि को लेकर उपस्थित हो जाउंगा अब मुझे जरूरी काम है मेरा जाना आवश्यक है इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया। समय 04.30 पीएम परिवादी रिश्वत राशि कल दिनांक 25.06.2025 को देने का कहा है, इस कारण गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने के कारण जरिये तहरीर देकर श्री खियांराम सउनि. को कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय 05.00 पीएम पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ़ से श्री खियांराम सउनि उपस्थित आये व अवगत करवाया की श्री सुनील कुमार स्टैनाग्राफर व बलकार सिंह वरिष्ठ सहायक को कल सुबह 7.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवा दिया गया है। दिनांक 25.06.2025 समय 07.30 एएम पर पाबन्दशुदा श्री सुनील कुमार स्टैनाग्राफर व बलकार सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 08.30 एएम पर परिवादी श्री सतनाम सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1000/-रूपये कि व्यवस्था कर साथ लाया हूं, परिवादी द्वारा डॉ0 खुशबु रावत को शनिवार को सेंड की गई अपने पशुओं से सबंधित फोटो की स्क्रीनशॉट की प्रति प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया जिसमें दो गायो व दो भैंसों की फोटो है, स्क्रीनशॉट की प्रति को शामिल फाईल किया गया। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री सुनील कुमार स्टेनोग्राफर व श्री बलकार सिंह वरिष्ठ सहायक को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री सतनाम सिंह से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री सतनाम सिंह के प्रार्थना पत्र के तथ्यों मे व सत्यापन के संबंध में अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। परिवादी सतनाम सिंह पुत्र सुखराज सिंह जाति-जटसिख, उम्र-40 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. मंतपुरा ढाणी 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने आरोपित डॉ0 खुशबु रावत को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 2 नोट कुल 1,000/- रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के दोनों नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह सुनील कुमार स्टेनोग्राफर से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 1,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. से ही परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी सामने की बांयी जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपिता को देवें एवं आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं

परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री सतनाम को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.40 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सतनाम सिह, स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार, श्री बलकार सिह, हमरकाब श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम मउनि., श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय, परिवादी श्री सतनाम सिह, स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार, श्री बलकार सिह, हमरकाब श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम मउनि., श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 21.06.2025 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजी व सरकारी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से मालारामपुरा की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 12.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा पशु चिकित्सालय मालारामपुरा के पास पहुंची, परिवादी श्री सतनाम सिह को आवश्यक हिदायत देकर आरोपिया से संपर्क करने हेतु पशु चिकित्सालय मालारामपुरा की तरफ रवाना किया गया, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पशु चिकित्सालय मालारामपुरा के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री सतनाम सिह पशु चिकित्सालय मालारामपुरा से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सतनाम सिह ने बताया की जब मैं पशु चिकित्सालय में गया तो कमरों के बाहर ही डॉक्टर खुषबू मिली व किसी से फोन पर बात कर रही थी तब मैंने लाल दवा के संबंध में बात की तो उसने फोन पर बात करते करते ही कहा की आप संतपुरा से लेते मैंने कहा की वहां पर नही मिली तब उन्होने मेरा नाम पता नोट करके मुझे लाल दवा दे दी व रिश्वत की मांग नहीं की मैं वापिस आ गया। उक्त वार्ता मैने डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है जिस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई, उक्त रिकॉर्डिंग की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। इस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। उच्चाधिकारियों द्वारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के आदेश देने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतंत्र गवाहन व परिवादी के मौके से जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। समय 01.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक एंव परिवादी द्वारा हालात निवेदन किये गये। परिवादी को सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 1000/-रूपये श्री संदीप मुख्य आरक्षक के जरिये प्राप्त कर एक कागज मे लपेटकर श्री संदीप मुख्य आरक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। समय 01.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 21.06.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 05.00 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 21.06.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 250621_1000 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. 109 से दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- 116d903625f923361f565f4540a8d012cbe687d है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 21.06.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 250621_1000 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GARV DEC-24 4 अंकित है उसे उसके कवर में डालकर स्टेपल कर कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 05.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 25.06.2025 को हुई वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में

लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 05.55 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 25.06.2025 की रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. 109 मे दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-3b62a752c1662d98f961e1af9900b2715b44a932 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-बी-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 25.06.2025 को हुई रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 250625_1222 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GARV DEC-24 4 अंकित है उसे उसके कवर में डालकर स्टेपल कर कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 06.15 पीएम पर परिवादी श्री सतनाम सिंह व स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार स्टैनाग्राफर व बलकार सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 02.07.2025 समय 11.15 एएम पर परिवादी श्री सतनाम सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में ब्यूरो में दिये गये मूल पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वापिस चाहने का निवेदन किया और बताया की उक्त चारों मूल पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसे बैंक में जमा करवाने है, इस पर परिवादी श्री सतनाम सिंह को मूल पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लौटाये गये व उनकी परिवादी सतनाम सिंह के द्वारा प्रमाणित प्रति शामिल फाईल की गई, परिवादी ने बताया की अभी तक मेरे से डॉ0 खुशबु द्वारा मेरे से कोई संपर्क नहीं किया गया है उनके द्वारा जैसे ही कोई संपर्क किया जायेगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा इस पर परिवादी श्री सतनाम सिंह को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 08.08.2025 समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री सतनाम सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री सतनाम सिंह ने कार्यवाही ड्रोप करने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया की मैं पशुपालन करता हूं, दिनांक 20.06.2025 को मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर मालारामपुरा पशु अस्पताल की डॉक्टर खुशबु रावत के खिलाफ रिश्वत मांगने के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था जिस संबंध में मैंने दिनांक 21.06.2025 को सत्यापन भी करवा दिया था तथा दिनांक 25.06.2025 को एसीबी टीम व गवाहों के साथ मालारामपुरा रिश्वत कार्यवाही हेतु गए थे परन्तु डॉक्टर को कोई शक होने के कारण रिश्वत राशि नही ली गई तथा इस संबंध में आज दिनांक तक मेरे पास खुशबु रावत या अन्य किसी का कोई फोन रिश्वत राशि लेने के संबध में नही आया है व ना ही इस संबंध में केई बात की गई है, डॉक्टर के पास मेरा कोई काम वर्तमान में पेण्डिग नहीं है चूंकि मालारामपुरा गांव में काफी सतर्क लोग रहते है जो बाहर कि गाड़ी के आने पर सभी विभागों को सतर्क कर देते है इसलिए यह ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें। आज मैं कार्यालय में उपस्थित होकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा हूं तथा मेरे द्वारा ट्रेप करवाने के लिए जो एक हजार रूपये की राशि दिनांक 25.06.2025 को ब्यूरो चौकी में जमा करवाई गई थी वह वापस प्राप्त करना चाहता हूं, अतः मुझे मेरे एक हजार रूपये वापिस देने की कृपा करें। समय 01.40 पीएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। परिवादी सतनाम सिंह के आवेदन पर ट्रेप राशि 1000/-रूपये श्री हंसराज मु0आ0 से मालखाना मे मंगवाकर अच्छी तरह से झाड़कर गिनकर जरिये रसीद वापस लौटाये गये। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार परिवादी सतनाम सिंह पुत्र सुखराज सिंह जाति-जटसिख, उम्र-40 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. संतपुरा ढाणी 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जो पशुपालन का कार्य करता है, मालारामपुरा पशु अस्पताल की डॉक्टर खुशबु रावत ने परिवादी के चार पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने की एवज में परिवादी से प्रत्येक पशु के 500/-रूपये के हिसाब से चारों पशुओं के 2000/-रूपये रिश्वत की मांग की, परिवादी सतनाम सिंह द्वारा आरोपी डॉक्टर खुशबु रावत के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 21.06.2025 को डॉक्टर खुशबु रावत का रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो डॉ खुशबु रावत द्वारा प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के 350/-रूपये के हिसाब से चारों पशुओं के 1400/-रूपये मांगे और परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर 1000/-रूपये लेने हेतु सहमत हुई, परिवादी द्वारा कहने पर की मेरे पास अभी रूपये नहीं तो डॉ0 खुशबु रावत ने कहा की ये रूपये रमेश को दे देना जो प्राईवेट पशु कंपाउडर का काम करता है आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, फिर दिनांक 25.06.2025 को रूबरू गवाहन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन उस दिन आरोपिया डॉ खुशबु रावत द्वारा रिश्वत राशि नहीं ली। उसके बाद से डॉ0 खुशबु रावत व रमेश द्वारा परिवादी से रिश्वत की शेष राशि नहीं मांग रहे है। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि रिश्वत राशि वापस देने व आगे कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर परिवादी को राशि वापिस लौटायी। इस प्रकार डॉ0 खुशबु रावत द्वारा लोक सेवक होते

हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी श्री सतनाम सिंह से प्रत्येक पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के 350/-रूपये के हिसाब से चारों पशुओं के 1400/-रूपये मांगे और परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर 1000/-रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। अतः आरोपिता डॉ0 खुशबु रावत पत्नी डॉ0 पंकज गोस्वामी, उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 18, नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवास वार्ड नं. 07, मालारामपुरा, संगरिया हाल पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी राजकीय पशु चिकित्सालय मालारामपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के विरूद्ध वर्णित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (शालू बिश्नोई) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती शालू बिश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्र. नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट मे जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ0 खुशबु रावत पत्नी डॉ0 पंकज गोस्वामी, उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 18, नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवास वार्ड नं. 07, मालारामपुरा, संगरिया हाल पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी राजकीय पशु चिकित्सालय मालारामपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रपट रोजनामचा आम संख्या 311 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1370-73 दिनांक 17.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर, 2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर 3. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHUPENDER KUMAR SONI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]3

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/10/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)